भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1903

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

1903. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन को जारी रखने का निर्णय लिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ङ) क्या बाढ़ और फसलों को अन्य मौसम संबंधी नुकसान के कारण, किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की तुलना में दावों के निपटान में विलंब तथा अपर्याप्त निपटान के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जी हां, सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

(ग) और (घ): देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई पीएमएफबीवाई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी जोखिम धारणा और वित्तीय विचारों आदि को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। योजना की शुरुआत के बाद से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक या अधिक सीजन में इस योजना को कार्यान्वित किया है। वर्तमान में, 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ङ) और (च): बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के

अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है ।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार समुचित ढंग से दूर किया गया था।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों को हल करने के लिए, योजना के संशोधित परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए , कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समयसीमा भी तय की गई है ।

विभाग सभी हितधारकों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठक तथा राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचे।

****